

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30 / 6 / 2008

संख्या- 212-45108-1130(2) -..... पटना, दिनांक वर्तमान
पदस्थापन के जिला में लगभग पाँच साल तक पदस्थापित रहने के कारण निम्नांकित चिकित्सको
के नाम के समक्ष अंकित स्तम्भ- 4 में अंकित जिलान्तर्गत स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित
किया जाता है :-

1 क्रम	2 चि0पदा0 का नाम	3 गृह जिला	4 अभ्युक्ति
1	डा0 किशोर कुमार मधुप	सुपौल	पूर्णियाँ
2	डा0 (श्रीमती) प्रतीमा ईरसर	समस्तीपुर	सारण
3	डा0 (श्रीमती) किरण कुमारी	पटना	सारण
4	डा0 शीलवंत सिंह	पटना	सारण
5	डा0 अभय प्रसाद	पटना	सारण
6	डा0 सूर्य प्रकाश झा	खगड़िया	पूर्णियाँ
7	डा0 गणेश प्रसाद मंडल	दुमका	पूर्णियाँ
8	डा0 जयप्रकाश सिंह	भागलपुर	पूर्णियाँ





9	डा0 शशि भूषण यादव	पूर्णियाँ	मधेपुरा
10	डा0 (श्रीमती) साधना सिन्हा	मुजफ्फरपुर	मधुबनी
11	डा0 मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह	सारण	दरभंगा
12	डा0 अरविन्द कुमार	सहरसा	मधुबनी
13	डा0 पुरुषोत्तम नारायण सिंह	सीवान	दरभंगा
14	डा0 सादीक आजम	अप्रान्त	पूर्णियाँ
15	डा0 राजेश किशोर साहू	पटना	भोजपुर
16	डा0 पी0 के0 मल्लिक	सुपौल	मधेपुरा
17	डा0 महेन्द्र कुमार	नवादा	भोजपुर

Signature

Signature

2. जिन चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवाओ जिलो को सौपी गयी है उनका पदस्थापन उस जिला में प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेंगी ।

3. सभी स्थानान्तरित चिकित्सक अपने पदस्थापन से सम्बन्धित जिले में योगदान करेंगे । तत्पश्चात् असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से जिले के अन्तर्गत पदस्थापन के स्थान की अधिसूचना प्राप्त करेंगे और अधिसूचित स्थान पर योगदान करेंगे । अगर चिकित्सक के नाम की स्पेलिंग गलत हो तो असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी स्पेलिंग सुधार हेतु मुख्यालय को पत्र लिखेंगे लेकिन सुधार के लिए प्रतीक्षा न कर अधिसूचित स्थान पर योगदान देने का निर्देश असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी अपने स्तर ही दें देंगे ।

4. निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति से सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।

5. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को शीघ्र स्थानान्तरित स्थान पर योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर देंगे ।

6. संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्तों से अनुरोध होगा कि पदस्थापन के जिले के अन्तर्गत रिक्तियों पर योग्यता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पदस्थापन करें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा० प्रमोद कुमार)

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक - 2/2-45108-113012)

पटना, दिनांक 30.6.08

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वै०दा०नि०कौ०) विभाग, पन्त भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ सभी संबंधित सिविल सर्जन/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग/ महानिरीक्षक अभियोजन, बिहार, पटना/ सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, स्वास्थ्य/राज्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक/ विभाग के सभी पदाधिकारी/ उप सचिव के निजी सहायक/ विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी, 2/3/9 एवं कम्प्यूटर कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

Su...